

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazetteएस.जी.-डी.एल.-अ.-01052024-254004
SG-DL-E-01052024-254004असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132]	दिल्ली, बुधवार, मई 1, 2024/वैशाख 11, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 35
No. 132]	DELHI, WEDNESDAY, MAY 1, 2024/VAISAKHA 11, 1946	[N. C. T. D. No. 35

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 मई, 2024

फा0 सं0 50(53)/डीसी/स्था0/2022/66—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24.09.1968 की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 3532 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 11.10.1976 की अधिसूचना संख्या फा0 2(57)/ 75—एस—II के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से, एतद् द्वारा औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उप-औषधि नियंत्रक के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (i) इन नियमों को औषधि नियंत्रण विभाग, उप-औषधि नियंत्रक भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।

(ii) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं इत्यादि :- उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता :- वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति :- जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. बचाव :- इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उप-औषधि नियंत्रक के पद हेतु
भर्ती नियम

1.	पदनाम	:	उप-औषधि नियंत्रक
2.	पदों की संख्या	:	02 (2024) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, राजपत्रित, समूह-क
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	12 अभ्युक्ति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (रुपये 78800-209200/-)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	:	चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यता	:	<div>अनिवार्य</div> <div>योग्यता : लागू नहीं</div> <div>अनुभव : लागू नहीं</div> <div>वांछनीय</div> <div>योग्यता : लागू नहीं</div> <div>अनुभव : लागू नहीं</div> <div>योग्यता संबंधी मानक टीप : लागू नहीं</div> <div>अनुभव संबंधी मानक टीप : लागू नहीं</div>

8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु : लागू नहीं शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं					
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं					
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	:	<table><tr><th>पद्धति</th><th>प्रतिशत</th></tr><tr><td>पदोन्नति</td><td>100</td></tr></table>	पद्धति	प्रतिशत	पदोन्नति	100	
पद्धति	प्रतिशत							
पदोन्नति	100							
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	:	<p>ग्रेड में 05 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतनमान के स्तर—11 (रुपये 67700—208700 /—) में सहायक औषधि नियंत्रक।</p> <p>मानक टीप : जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो (02) वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p>					
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	:	<table><tr><td>विभागीय पदोन्नति समिति 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव, रा0रा0क्षे0दि0स0 — सदस्य 3. विभाग के प्रशासनिक सचिव — सदस्य 4. विभागाध्यक्ष — सदस्य</td><td>विभागीय स्थायीकरण समिति लागू नहीं</td></tr></table>	विभागीय पदोन्नति समिति 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव, रा0रा0क्षे0दि0स0 — सदस्य 3. विभाग के प्रशासनिक सचिव — सदस्य 4. विभागाध्यक्ष — सदस्य	विभागीय स्थायीकरण समिति लागू नहीं			
विभागीय पदोन्नति समिति 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव, रा0रा0क्षे0दि0स0 — सदस्य 3. विभाग के प्रशासनिक सचिव — सदस्य 4. विभागाध्यक्ष — सदस्य	विभागीय स्थायीकरण समिति लागू नहीं							
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है					

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
राज कुमार, उप-सचिव

**DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
NOTIFICATION**

Delhi, the 1st May, 2024

F. No. 50(53)/DC/Estt./2022/66.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 3532 dated 24.09.1968 and in supersession of this Government's Notification No. F.2(57)/75-S-II dated 11.10.1976 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with Union Public Service Commission, hereby makes following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Drugs Controller in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:

1. Short title and commencement-

- (i) These rules may be called the Drugs Control Department, Deputy Drugs Controller Recruitment Rules, 2024
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, Classification and Pay Level in Pay Matrix- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; **or**
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving- Nothing in these rules, shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Deputy Drugs Controller in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi

Name of Post	Number of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post/Non-Selection Post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Deputy Drugs Controller	02 (2024) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Non Ministerial, Gazetted Group, A	12 Remark : Level 12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix	Selection Post	Not Applicable
Educational and other Qualifications required for Direct Recruits		Whether age & Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	
7		8	9	10	
Essential		AGE: NA Edu. Qual: NA	N.A.	Method	Percentage
Qualification: Not Applicable	Experience: Not Applicable				
Desirable				Promotion	100
Qualification: Not Applicable	Experience: Not Applicable				
Qualification Standard Note	Experience Standard Note				
NA	NA				

In case of Recruitment by Promotion/ Deputation/ Absorption grades from which Promotion/Deputation/Absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
11	12		13
<p>Assistant Drugs Controller in the scale of Level 11 (Rs. 67700 – 208700) with 5 years regular service in the grade</p> <p>Standard Note: Where Juniors who have completed qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service</p>	<p><u>Departmental Promotion Committee</u></p> <p>1. Chairman/ Member U.P.S.C. – Chairman</p> <p>2. Chief Secretary, Govt. of N.C.T. of Delhi – Member</p> <p>3. Administrative Secretary of the Department – Member</p> <p>4. Head of Department –Member</p>	<p><u>Departmental Confirmation Committee</u></p> <p>NA</p>	<p>Consultation with UPSC not necessary</p>

By order and in the name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi

RAJ KUMAR, Dy. Secy.